

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 573-क(दो) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना में लगाये जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज)

क्र० सं०	श्रेणी	संशोधित मासिक दरें
आवासीय भवन हेतु		
1	a मलिन बस्ती में निवास करने वाले परिवार जो छोटे, एक कमरे वाले, एक मंजिला कच्चे भवन में रहते हैं।	40.00
	b 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर निर्मित समस्त पक्के अर्द्धपक्के तथा कच्चे भवन (केवल एक मंजिला तक)	50.00
	c 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित आवासीय भवन (केवल एक मंजिला तक)	100.00
	d अपार्टमेंट के फ्लैट्स- प्रति फ्लैट्स	100.00
अनावासीय प्रयोजनों एवं भवनों हेतु 10 वर्गमीटर तक		
2	a ठेलें/गुमटी/स्टाल आदि	100.00
	b मोबाइल इंटेबल वैन इत्यादि	200.00
	c कपड़े, जूता-चप्पल, स्पोर्ट्स, बिजली पाट्स एवं स्टेशनरी/कॉपी-किताब की दुकान	100.00
	d प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स कार्यालय (वकील एवं डॉक्टर के चैम्बर)	100.00
	e वाइन शॉप, मॉडल शॉप	200.00
	f सेनेटरी की दुकान, हेयर ड्रेसर व जंगरल मचैन्ट की दुकान	200.00
	नोट उक्त दुकान का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु० 01/- प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।	
मिठाई की दुकान, बेकरी, गाड़ियों के सर्विस सेंटर		
3	a 10 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	300.00
	b 11 वर्गमीटर से 20 वर्गमीटर तक	500.00
	c 20 वर्गमीटर से 50 वर्गमीटर तक	1000.00
	नोट उक्त में 50 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु० 02/- वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।	
4	पेट्रोल पम्प	1000.00
शैक्षिक संस्थान (1)		
5	a प्ले ग्रुप, नर्सरी, के०जी०, मदरसा एवं प्राइमरी	500.00
	b प्राइमरी से हाईस्कूल	1000.00
	c इण्टरमीडिएट तक	2000.00
शैक्षिक संस्थान (2)		
6	a डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तकनीकी संस्थान मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय	3000.00
	नोट (1) उक्त शैक्षिक संस्थानों में स्थित कैंटीन एवं हॉस्टल से यूजर चार्जस अलग से लिया जायेगा। (2) उक्त में 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु० 01/- प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।	

7	शैक्षिक संस्थाओं में स्थित कैन्टीन एवं हॉस्टल		
	a	कैन्टीन	रु0 1000 प्रति कैन्टीन
	b	हॉस्टल	रु0 25 प्रति कमरा
8	कोचिंग संस्थान:		
	a	समस्त प्रकार के कोचिंग एवं कॉम्पटीशन ट्रेनिंग सेन्टर	200.00
9	बैंक, ऑडिटोरियम, सिनेमा घर, प्रिंटिंग प्रेस		
	a	प्रिंटिंग प्रेस, बैंक	1000.00
	b	ऑडिटोरियम, सिनेमा घर	1500.00
10	गेस्ट हाउस, रेस्टोरेन्ट 500 वर्गमीटर तक		3000.00
	नोट	उक्त में 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु0 02/- प्रति वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा।	
11	मैरिज हॉल/बैक्वेट हाल/धर्मशाला/कामर्शियल लॉन (सभी सीजनो में)		
	a	500 वर्गमीटर तक	5000.00
	b	501 से 1000 वर्गमीटर तक	7000.00
	नोट	(1) उक्त में 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु0 01/- वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा। (2) क्रम 11 के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
12	हॉस्पिटल (उपलब्ध बेड संख्या के अनुसार किचन वेस्ट) नर्सिंग होम		
	a	01-10 बेड तक	1000.00
	b	11-20 बेड तक	1500.00
	c	21-30 बेड तक	2000.00
	d	30-40 बेड तक	2500.00
	नोट	40 बेड के ऊपर रु0 20 प्रति बेड	
	नोट	क्रम 12 के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
13	क्लब, तकनीकी संस्थान 2000 वर्गमीटर तक		3000.00
	नोट	(1) उक्त में 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में रु0 01/- वर्गमीटर अतिरिक्त लिया जायेगा। (2) क्रम 13 के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
14	नगर में स्थित बस स्टेशनों से कूड़ा उठाना		कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु0 1604 प्रति मी0 टन
	a	आलमबाग	
	b	कैसरबाग	
	c	घारबाग	
	d	गोमती नगर	
	e	यू0पी0एस0आर0टी0सी0 कार्यशाला	
	नोट	बस स्टेशन को समस्त कूड़ा एकत्रित कर एक स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।	
15	लखनऊ एयरपोर्ट (अमीसी)		
	a	इण्टरनेशनल टर्मिनल	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु0 1604 प्रति मी0 टन
	b	डोमेस्टिक टर्मिनल	
	c	स्टेटमेन्ट टर्मिनल	
	नोट	एयरपोर्ट को समस्त कूड़ा एकत्रित कर एक स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।	

16	होटल, शॉपिंग मॉल		
	a	0 से 10 कमरे तक	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु0 1604 प्रति मी0 टन
	b	11 से 30 कमरे तक	
	c	31 से 50 कमरे तक	
	d	51 से 75 कमरे तक	
	नोट	क्रम 16ए से 16डी तक के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
17	सुपर मार्केट्स जैसे- बिग बाजार, स्पेन्सर, विशाल मेगा मार्ट, वी-मार्ट, ईजी-डे इत्यादि		
	a	100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु0 1604 प्रति मी0 टन
	b	100 से 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	
	c	251 से 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल	
	नोट	क्रम 17ए से 17सी तक के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
18	कम्पनी ऑफिस (पब्लिक लि0, प्रा0 लिमिटेड, बहुराष्ट्रीय इत्यादि)		
	a	1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक (कार्पेट एरिया के आधार पर)	1000.00
	b	101 वर्गमीटर क्षेत्रफल से 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक (कार्पेट एरिया के आधार पर)	2000.00
	नोट	क्रम 18a तथा 18b के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
19	फैक्ट्री कारखाना, गोदाम व कोल्ड स्टोरेज		
	a	50 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	1000.00 न्यूनतम
	b	51 वर्गमीटर से अधिक	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु0 1604 प्रति मी0 टन
	नोट	क्रम 18a तथा 18b के यूजर अपना समस्त कूड़ा एकत्रित करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	
20	मेला, महोत्सव, नुमाइश, प्रदर्शनी, धार्मिक अवसरों जैसे गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा पर सड़क पर लगने वाले लंगर जिसमें लोगों को पत्तल/दोनों में भोजन/प्रसाद कराया जाता है। (साप्ताहिक दरें पूरी आयोजन अवधि के लिए)		
	a	10 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	50.00
	b	10 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक	100.00
	नोट	यदि मेला समिति है तो वास्तविक गणना के आधार पर समिति को समस्त कूड़ा एक स्थान पर एकत्रित करके देना होगा।	
21	खाद्य सामग्री विक्रेता (रोड साइड फुटकर दुकान, फास्ट फूड आदि)		
	a	05 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक	200.00
	a	05 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक	300.00
22		साप्ताहिक बाजार प्रतिदिन की दर से	50.00
23		फलमण्डी, ग्रेन मार्केट, सब्जी मण्डी, मछली मण्डी आदि	कूड़े की मात्रा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर आंकलन रु0 1604 प्रति मी0 टन
	नोट	उक्त क्रम 22 एवं 23 के उपभोक्ता कूड़ा एकत्र करके एक स्थान पर उपलब्ध करायेंगे।	

नोट-

1. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश संख्या- 199 to 2014 के क्रम में पृष्ठ संख्या- 61 एवं 62 पर उल्लिखित बिन्दु क्रमांक (18) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, होटल, नागरिक, कसाई खाना, सब्जी मण्डी आदि कूड़े को नाली, नालों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकते हुए पाए जाने पर पर्यावरण मुआवजा रु. 10,000 (दस हजार) का दण्ड आरोपित करने का प्राविधान है।
2. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुसार सार्वजनिक स्थान, सड़क, नाली, नाला, पार्क, खाली प्लॉट इन सब जगहों पर कूड़ा फेंकना, डालना एवं जलाना दण्डनीय अपराध है।

सूचना :

1. उपरोक्त दरें केवल कूड़ा एकत्रित करने हेतु लागू है। अन्य सुविधाएँ जैसे झाड़ू लगाना, नाली साफ करना तथा टॉयलेट सफाई आदि इसमें सम्मिलित नहीं है।
2. उक्त भुगतान समस्त श्रेणियों को करना है। पालन न किये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. उपरोक्त सुविधा पर्यावरण को स्वच्छ एवं नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। एकत्रित किये गये कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मोहान रोड पर शिवरी ग्राम स्थित प्रोसेसिंग प्लान्ट में किया जायेगा।

30/8/2017
(पी.के. श्रीवास्तव)
अपर नगर आयुक्त

(उदयरराज सिंह)
नगर आयुक्त